

प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
वास्ते पत्रावली बहस हेतु नियत दिनांक 3-10-23
को पेश हो।

3-10-23 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षों
में बहस करनी-वादी। बहस सुनी गयी। बहस
के दौरान वकील प्रार्थी ने अपने प्र. पत्र में बर्णित
तथ्यों के अनुसार मुख्य रूप से यह कथन किया है
कि उसके माम स्वतंत्राधिकारी से अंकन आराजी
सं. 568/1, 578/1, 579/1 कुल कित 03 कुल
रकबा 1.0118 हेक्टेयर की दक्षिणी भुजा पर नक्शा ड्रेस
में उक्त सम्पूर्ण रकबा तरमीम नहीं होकर मॉडि पर
734 फीट लम्बी एवं 65.5 फीट चौड़ी भूमि कम
तरमीम है। प्रस्तुत जमाबंदी तथा नक्शा ड्रेस एवं
प्रस्तुत तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट व उसके साथ
संलग्न नक्शा ड्रेस का अवलोकन करने से जाहिर
आया कि पूर्व में वादग्रस्त आराजी के मूल आराजी
सं. 568 रकबा 5.12 बीघा, 578 रकबा 1.04 बीघा
व 579 रकबा 5.10 बीघा भूमि दर्ज थी, तत्पश्चात्
दिनांक 12.6.95 को सहमति विभाजन से नये आराजी
सं. 568 रकबा 2.16 बीघा, आराजी नं. 568/1 रकबा
2.16 बीघा, आराजी नं. 578 रकबा 0.12 बीघा, आराजी नं.
578/1 रकबा 0.12 बीघा, आराजी नं. 579 रकबा 2.15
बीघा, आराजी नं. 579/1 रकबा 2.15 बीघा दर्ज हुए
थे जिसमें से आराजी सं. 568/1, 578/1, 579/1 के
सहमति विभाजन दिनांक 12.6.95 में जो प्रमाणित नक्शा
लगाया गया है। उसमें एवं वर्तमान राजस्व मक्दो में जो
तरमीम है उसमें फर्क है। अतः उक्त आराजियात की उक्त
सहमति विभाजन में संलग्न अनुसार वर्तमान राजस्व मक्दो
में तरमीम किये जाने की इस्तदुआ की। अब कि प्रार्थी
ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वारीज किये जाने की
इस्तदुआ की।

उपस्थित अधिकारी
मांडल जिला जयपुर

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जारी

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही पर इमिशनयलस जारी

नम्बर व तारीख
अहकाम में इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

मैंने प्रतावली का अवलोकन किया, उमयपदों की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट का अध्ययन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है, अतएव

::: आदेश :::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बानकपुरा पटवार हल्का दांता कला तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा में स्थित स्वातेदारी अधिकारी की हाल आराजी संख्या 568/1 रकबा 0.7082 हेक्टेयर, आराजी संख्या 578/1 रकबा 0.1518, आराजी संख्या 946/579 रकबा 0.1518 हेक्टेयर कुल कितना 03 कुल रकबा 1.0118 हेक्टेयर की दक्षिणी भुजा के हाल राजस्व नक्शा ड्रेस में दक्षिणी भुजा पर उक्त आराजियात के सम्पूर्ण रकबे अनुक्रम रकबा त्रमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल को याचना हेतु तहरीर जारी की जाए। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार राजस्व नक्शा ड्रेस में त्रमीम करे। प्रतावली फ़ैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा